

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

गुरभीत सिंह बनाम गुरमुख सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए नम्बर 224 सन् 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024 / 37/

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तामिल
हुकम

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

20.11.2024

वादी गुरभीत सिंह पुत्र गुरमुख सिंह जाति जटसिख
निवासी 10 डब्ल्यू हाल निवासरत हनुमान मंदिर के पास,
श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री
मनीष जागिंड ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए
प्रस्तुत किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।
प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली
दिनांक 19.12.2024 को पेश हो।

12
27-11-24

आज यह पत्रावली वादी व वादी अधिवक्ता
के द्वारा प्राथम पत्र पेश करने पर पेशी
में ली गई। प्राथम पत्र में निवेदन
किया कि उक्त अनवान प्रकरण में हम
पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है।
इसलिए उक्त अनवान प्रकरण को इसी
स्तर पर खारिज किया जावे।

वादी व वादी अधिवक्ता को खान
गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।
लिहाजा वादी द्वारा वादपत्र नोप्रेस
करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली विगीति होकर
गावर से काम होकर वापिल फुतर हो

अहकाम

27/11/24



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर